

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ राज. जयपुर

क्रमांक:- ई-20 / X-10/nursing/ajmer/26475 / 2024 / 176 दिनांक:- 09/04/2024

-: शुद्धिकरण :-

निदेशालय के निम्नांकित आदेश के द्वारा नर्सिंग कार्मिकों के स्थाईकरण/सेवानिवृत्ति/एसीपी स्वीकृति सम्बन्धी आदेश जारी किये गये थे, उक्त आदेश में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

क्र. सं.	स्वीकृत निदेशालय का आदेश क्रमांक/दिनांक	आदेश में नाम व क्रमांक संख्या	संशोधन
1	07 दिनांक 03.01.2024	क्रम सं. 2 व 3	अलिस वर्गिस म.स्वा.कार्य. के पदस्थापन स्थान के.रा.बी.औ-08 जयपुर व सुनिता म.स्वा.कार्य. का पदस्थापन स्थान के.रा.बी.औ-02 अजमेर पढा जाव।
2	23 दिनांक 16.01.2024	महिमा कुमारी मीणा क्रम सं. 04 पर अंकित	कार्मिका की जन्म तिथि 12.08.1994 पढा जावें
3	619 दिनांक 20.11.2023	चित्रा परिहार क्रम सं. 06 पर अंकित	कार्मिका के स्थाईकरण आदेश में प्रथम नियुक्ति तिथि 15.03.2021 परिवीक्षाकाल पूर्ण करने की तिथि 14.03.2023 एवं 02 वर्ष पश्चात परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर वेतन नियतन तिथि 15.03.2023 पढा जावें
4	370 दिनांक 06.06.2023	पिंकू देवी क्रम सं. 04 पर अंकित	कार्मिका के स्थाईकरण आदेश में परिवीक्षाकाल पूर्ण करने की तिथि 18.02.2023 पढा जावें
5	07 दिनांक 03.01.2024	स्नेहलता जेम क्रम सं. 04 पर अंकित	कार्मिका के सेवानिवृत्ति आदेश में जन्म तिथि 14.04.1964 व प्रथम नियुक्ति तिथि 12.06.1989 पढा जावें
6	334 दिनांक 23.05.2023	विस्मिल्ला कादात क्रम सं. 26 पर अंकित	कार्मिका के स्थाईकरण आदेश में परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर वेतन नियतन तिथि 07.10.2020 पढा जावें
7	651 दिनांक 19.12.2023	लोटन्ती कुमारी मीणा क्रम सं. 05 पर अंकित	कार्मिका के एसीपी आदेश में वर्तमान में प्राप्त पे बन्ड/वेतन श्रृंखला/लेवल एल-08 देय पे ग्रैंड/देय वेतन श्रृंखला/लेवल एल-10 पढा जावें

शेष यथावत

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- ई-20 / X-10/nursing/ajmer/26475 / 2024 / 176 दिनांक:- 09/04/2024

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन राजस्थान।
2. सम्बन्धित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक मेडिकल कॉलेज, राजस्थान
3. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजस्थान।
4. सम्बन्धित प्रमुख चिकित्सा चिकित्सा अधिकारी राजस्थान।
5. सम्बन्धित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजस्थान।
6. सम्बन्धित जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी राजस्थान।
7. सम्बन्धित चिकित्सा अधिकारी प्रभारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र राजस्थान।
8. संबंधित कार्मिकों को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
9. प्रभारी सर्वर रूम को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र को ई-मेल आई डी के माध्यम से प्रेषित करावें।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

RajKajRef
57708883

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma
Designation: Director
Date: 27-03-2024 10:53:49